

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 532/2011
संस्थित दिनांक- 18.11.2011

शांतिलाल पिता शिवाभाई फोंगला (पाटीदार),
आयु-68 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.परिवादी

वि रू द्ध

अनिल पिता हरिजी पाटीदार (आवलिया),
आयु-40 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार,
निवासी हनुमान मोहल्ला, अंजड एवं
पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड,
अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.अभियुक्त

परिवादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री एल. के. जैन
अभियुक्त द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री संजय गुप्ता

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 23-07-2016 को घोषित)

1- परिवादी शांतिलाल द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 24.10.2011 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोग इस आधार पर है कि उसके द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को दिनांक 15.03.2011 को दिया गया चेक क्रमांक 009702 रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) एवं चेक क्रमांक 009711 रुपये 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) का दिनांक 20.03.2011 आरोपी के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित हो गए, जिसकी सूचना प्रेषित किए जाने के बाद भी आरोपी ने उक्त चेक्स की धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया।

2- प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह हैं कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित करवाने के लिए माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के न्यायालय में प्रांतीय दीवाला अधिनियम 1920 की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश किया है तथा स्वयं को परिवादी का देनदार होना ही बताया है। यह तथ्य स्वीकृत हैं कि परिवाद चलने के दौरान परिवादी को आरोपी ने विभिन्न दिनांकों में चेक राशि के बदले रुपये 60,000/- (अक्षरी रुपये साठ हजार मात्र) अदा कर दिए हैं।

3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी और परिवादी एक-दूसरे से परिचित हैं। आरोपी ने पारिवारिक कार्य से रुपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से नकद रुपये 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन

लाख पचास हजार मात्र) उधार प्राप्त किए तथा उक्त रूपयों की अदायगी हेतु बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ के उसके ओ.डी. खाता क्रमांक 163/990825200000163 के 2 अकाउंट पेयी चैक क्रमांक 009702, दिनांक 15.03.2011 राशि रुपये 1,00,000/— (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) तथा चैक क्रमांक 009711, दिनांक 20.03.2011 राशि रुपये 2,50,000/— (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रदान किए गए, जो दोनों ही चैक आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं लिखित हैं। परिवादी ने उक्त दोनों ही चैक भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में अपने खाते में जमा किए, जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से चैक्स का भुगतान परिवादी को प्राप्त नहीं हुआ और चैक अनादरित होकर परिवादी को उसकी बैंक के द्वारा दिनांक 09.09.2011 को वापस प्राप्त हुए और चैक अनादरण का कारण आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होना बताया गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र दिनांक 15.09.2011 को भेजा गया, जो आरोपी को दिनांक 15.09.2011 को प्राप्त होने के बाद भी आरोपी ने उक्त चैक्स की धनराशि परिवादी को अदा नहीं की। इसलिए परिवादी ने यह परिवाद पेश किया है।

4— आरोपी पर परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का अभियोग मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अधिरोपित कर अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया तथा बचाव साक्षी के रूप में सुदामा (ब.सा.—1) तथा राकेश (ब.सा.—2) के कथन कराए गए हैं।

5— विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी द्वारा परिवादी को चैक क्रमांक 009702, राशि रुपये 1,00,000/— (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र), दिनांक 15.03.2011 एवं चैक क्रमांक 009711, राशि रुपये 2,50,000/— (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र), दिनांक 20.03.2011, दायित्व के अधीन प्रदान किए गए ?
ब	क्या उक्त दोनों चैक आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हुए हैं ?
स	क्या परिवादी द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी आरोपी ने उक्त दोनों चैक्स की कुल धनराशि रुपये 3,50,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान परिवादी को नहीं किया ?
द	यदि हां, तो निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

– विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' लगायत 'द' पर सकारण निष्कर्ष –

6– चूंकि सभी विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने और सुविधा की दृष्टि से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7– परिवारी शांतिलाल (परि.सा.-1) का कथन है कि वह और आरोपी आपस में परिचित हैं तथा उनके बीच मधुर संबंध हैं। आरोपी को पारिवारिक आवश्यकता होने से आरोपी के द्वारा परिवारी से नकद रुपये 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) उधार प्राप्त किए और उक्त रुपयों के भुगतान के लिए बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में स्थित अपने ओ.डी. खाता क्रमांक 163/990825200000163 के दो चैक क्रमांक 009702, राशि रुपये 1 लाख, दिनांक 15.03.2011 तथा चैक क्रमांक 009711, राशि रुपये 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र), दिनांक 20.03.2011 के दिए थे, जो चैक आरोपी के द्वारा हस्ताक्षरित, हस्तलिखित एवं दिनांकित थे। परिवारी ने दोनों चैक भुगतान के लिए बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में अपने खाते में जमा किए गए, जहां से आरोपी के ओ.डी. खाते में चैक भुगतान के लिए भेजे गए थे, किन्तु आरोपी के खाते में चैक के भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं होने से परिवारी को चैक्स की धनराशि का भुगतान नहीं हो सका तथा दिनांक 09.09.2011 को परिवारी को उक्त दोनों चैक अनादरण होकर इस टीप के साथ प्राप्त हुए कि पर्याप्त धनराशि नहीं है।

8– परिवारी का यह भी कथन है कि इस प्रकार आरोपी ने जानबूझकर परिवारी के साथ धोखाधड़ी की, तब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से सूचना पत्र दिनांक 15.09.2011 को प्रेषित किया, जो आरोपी को दिनांक 15.09.2011 को ही प्राप्त हुआ, उसके बाद भी आरोपी ने सूचना पत्र में दी गई समयावधि में उसे चैक की धनराशि अदा नहीं की। इसलिए उसने यह परिवार प्रस्तुत किया है। अपने समर्थन में परिवारी ने आरोपी द्वारा उसे दिए गए असल चैक प्रपी-1 व 2, अनादरण मेमो प्रपी-3, आरोपी को भेजे गए सूचना पत्र की प्रतिलिपि प्रपी-4, डाक की रसीद प्रपी-5 व 6, प्राप्ति रसीद प्रपी-7 व 8, बैंक में जमा की गई स्लीप प्रपी-9 और बैंक द्वारा दिया गया पत्र प्रपी-10 को भी प्रमाणित कराया है।

9– आरोपी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में परिवारी ने स्वीकार किया है कि वह कृषि कार्य करता है और उसके पास 12 एकड़ कृषि भूमि सिंचित है। सम्पूर्ण कृषि कार्य मजदूरों से करवाता है और मजदूरों को धनराशि का भुगतान करता है। वह अपनी कृषि से प्रति वर्ष लगभग 3 से साढ़े 3 लाख लाख रुपयों का आय पिछले 25 वर्षों से अर्जित कर रहा है। परिवारी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी-1 व 2 के चैक में तारीख हिन्दी लिपि में लिखी है और अंकों में राशि अंग्रेजी लिपि में लिखी है, लेकिन परिवारी ने इस बात से इन्कार किया है कि प्रपी-1 व 2 के चैकों पर उसके द्वारा तारीख लिखी गई है। परिवारी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि प्रपी-1 व 2 के चैक्स में दिनांक अलग-2 स्याही से लिखी गई हैं, लेकिन परिवारी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा

लिखी गई हैं। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी-4 के सूचना पत्र में खाते के नंबर के वहां सूचना पत्र में ए से ए, बी से बी, सी से सी भागों पर कांटछांट हैं और प्रपी-3 के ज्ञापन में बैंक द्वारा ज्ञापन जारी करने की तारीख अंकित नहीं है। परिवादी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी-3 में ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी तथा ई से ई के भाग अलग-2 स्याही से लिखे गए हैं। परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि परिवाद पत्र को उसने पढ़ लिया था व परिवाद पत्र के चरण क्रमांक-3 में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा इंदौर लिखा है, लेकिन साक्षी ने आगे स्पष्ट किया है कि टंकण त्रुटि से शाखा इंदौर लिख गया है और आरोपी का खाता अंजड़ बैंक में ही है। परिवादी ने आगे स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 24.10.2011 को प्रेषित किए गए सूचना पत्र को पढ़ लिया था, जिसमें भी बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ के स्थान पर शाखा इंदौर लिखा है, वह भी टंकण त्रुटि है। इस साक्षी से प्रस्तुत शपथ पत्र में हुई टंकण त्रुटियों के संबंध में विस्तृत और अनावश्यक प्रतिपरीक्षण किया गया है, जो कि प्रकरण में सुसंगत नहीं है। परिवादी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किए हुए हैं, लेकिन आगे यह स्वीकार किया है कि उसने महेंद्र माली के विरुद्ध चैक अनादरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस साक्षी से आगे किए गए प्रतिपरीक्षण में उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह लोगों से चैक लेकर पैसे देता है। परिवादी ने यह जानकारी होने से भी इन्कार किया है कि 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) रुपये से अधिक के संव्यवहार पर बैंक में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। परिवादी शांतिलाल ने प्रतिपरीक्षण में प्रस्तुत इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने आरोपी के विरुद्ध असत्य परिवाद प्रस्तुत किया है।

10— बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षी सुदामा (ब.सा.-1) का कथन है कि वह बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में मैनेजर के पद पर 20 माह से कार्यरत है। बैंक का संव्यवहार जमा पर्ची के माध्यम से होता है। बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रपी-3 का मेमो उसके हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेमो की कार्बन प्रति वह साथ लाया है, जिसमें परिवादी शांतिलाल पिता शिवा पाटीदार, निवासी अंजड़ का उल्लेख है और प्रपी-3 के मेमो के सी से सी भाग पर रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) एवं बी से बी भाग पर रुपये 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) लिख हैं, जो कार्बन प्रति पर अंकित नहीं हैं। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उसने प्रपी-3 के मेमो में बी से बी भाग पर उल्लेखित 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) रुपये एवं सी से सी भाग पर 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) रुपये अंकों को लिखा था। प्रपी-3 में नीली स्याही में लिखे शब्द एवं अंक उसके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा लिखे गए थे और बैंक ऑफ इण्डिया में चैक अनादरण का मेमो उसके द्वारा तैयार किया जाता है। प्रपी-3 के ज्ञापन में कोई दिनांक उल्लेखित नहीं है, जबकि मेमो में दिनांक का उल्लेख किया जाना चाहिए। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि मेमो के साथ भेजे गए पत्र में दिनांक का उल्लेख किया गया है। साक्षी का यह भी कथन है कि बैंक में जब चैक भुगतान के लिए आता है, तब हस्ताक्षर का मिलान और दिनांक का

अवलोकन किया जाता है। उसने प्रपी-1 व 2 के चैकस को भुगतान हेतु प्राप्त होने पर उसका अवलोकन किया था और प्रपी-1 व 2 के चैक भुगतान हेतु दिनांक 09.09.2011 को बैंक में प्रस्तुत किए गए थे। परिवादी के खाते का विवरण दिनांक 25.08.2012 तक का है। वह अपने साथ परिवादी के खाता क्रमांक 99081014907403 का विवरण लाया है। उक्त खाते में नामें में रुपये 19,25,306/- एवं जमा में रुपये 11,42,015/- हैं। उक्त खाते में दिनांक 09.11.2011 को रुपये 6 लाख, दिनांक 29.11.2011 को रुपये 8 लाख, दिनांक 20.12.2011 को रुपये 3 लाख 20 हजार एवं दिनांक 21.05.2012 को रुपये 1 लाख 44 हजार का संव्यवहार हुआ है।

11- परिवादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस दिनांक को चैक अनादरण का मेमो जारी किया जाता है, उसी दिन उसका कवरिंग लेटर भी तैयार किया जाता है और प्रपी-3 के अनादरण मेमो में दिनांक अंकित करने का कोई प्रोफॉर्मा नहीं है। इस साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 09.09.2011 को परिवादी को बैंक की ओर से चैक अनादरण की सूचना दी गई तथा चैक अनादरण का चार्ज रुपये 80/- परिवादी के खाते से नामे किया गया।

12- बचाव साक्षी राकेश (ब.सा.-2) का कथन है कि वह परिवादी और आरोपी को जानता है। परिवादी क्या काम करता है, उसे जानकारी नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि परिवादी लोगों को ब्याज पर रुपये उधार देता है? उसे यह भी जानकारी नहीं है कि परिवादी ने आरोपी को कोई रुपये उधार दिए थे या नहीं। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि उसे यह भी नहीं पता कि परिवादी की आदर्श कृषि सेवा केन्द्र के नाम से कीटनाशक दवाइयों की दुकान है। परिवादी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आज अभियुक्त की ओर से साक्ष्य देने के लिए आया है और उसे अभियुक्त ने साक्ष्य देने के लिए कहा था तथा वह अभियुक्त के कहने से न्यायालय में साक्ष्य देने आया है और साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से नकदी 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) रुपये उधार स्वरूप प्राप्त किए थे अथवा आरोपी ने परिवादी को रुपये 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) वापस करने हेतु एक चैक 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) रुपये एवं दूसरा चैक 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) रुपये का प्रदान किया था।

13- परिवादी ने अपने समर्थन में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह प्रपी-1 व 2 का चैक है, जो आरोपी के खाते का होने से आरोपी ने इन्कार नहीं किया है तथा उक्त चैक पर जारीकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर होने से भी आरोपी ने इन्कार नहीं किया है। प्रपी-3 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ का अनादरण मेमो है, जिसके द्वारा आरोपी के बैंक ने उक्त प्रपी-1 व 2 के चैक आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के आधार पर बिना सिकरे परिवादी को वापस किए गए हैं। परिवादी के बैंक द्वारा उसे दिया गया सूचना पत्र प्रपी-10 और बैंक में जमा की गई जमा पर्ची प्रपी-9 है। परिवादी की ओर से पोस्टल रसीद को प्रपी-5 व 6,

प्राप्ति रसीदें प्रपी-7 व 8 को भी प्रमाणित कराया है तथा प्रपी-4 परिवादी के अधिवक्ता द्वारा आरोपी को पंजीकृत डाक से भेजे गए सूचना पत्र की प्रति भी है। आरोपी की ओर से परिवादी के खाते का विवरण प्रडी-1 प्रमाणित कराया गया है, जिसके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा दिए गए प्रपी-1 व 2 के चैक परिवादी के खाते में भुगतान प्राप्ति के लिए जमा हुए थे, किन्तु वे अनादरित हुए हैं।

14— परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का आरोपी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई भी खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि आरोपी की ओर से बचाव में जिन साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, उसमें बचाव साक्षी सुदामा कामले (ब.सा.-1) के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रपी-3 के ज्ञापन में दिनांक उल्लेखित नहीं होने से कोई अवैधानिकता उत्पन्न नहीं होती तथा उसके साथ भेजे गए कवरिंग लेटर में दिनांक उल्लेखित है। आरोपी की ओर से परिवादी के बैंक खाते का विवरण प्रपी-1 भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संव्यवहार के प्रकरण की दिनांक में परिवादी के खाते में काफी बड़ी धनराशि के लेनदेन का उल्लेख है, जिसके अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी के पास इतने पर्याप्त साधन थे कि वह रुपये 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) आरोपी को उधार स्वरूप प्रदान कर सकता था। ऐसी स्थिति में आरोपी को धनराशि प्रदान करने के संबंध में परिवादी की आर्थिक सक्षमता भी आरोपी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट होती है।

15— आरोपी स्वयं ने प्रपी-1 व 2 के चैक्स पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार नहीं किया है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत दूसरे साक्षी राकेश (ब.सा.-2) ने केवल आरोपी और परिवादी को पहचानना बताया है और स्वयं को आरोपी का रिश्तेदार होना भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त उक्त संव्यवहार के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। परिवादी द्वारा आरोपी को उधार स्वरूप दिए गए रुपये 3,50,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की अदायगी हेतु परिवादी के पक्ष में आरोपी द्वारा उक्त भुगतान वापस करने हेतु प्रपी-1 व 2 के चैक आरोपी द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किए गए थे। परिवादी की साक्ष्य से एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण या साक्ष्य में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत यह उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जा सकती है कि आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन ही परिवादी के पक्ष में प्रपी-1 व 2 के चैक अपने हस्ताक्षर से जारी किये गये थे, जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हुए हैं और उसका सूचना पत्र परिवादी द्वारा प्रेषित करने के बाद भी आरोपी ने उक्त चैक की धनराशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है।

16— आरोपी का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध है, जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी हनुमान मोहल्ला,

अंजड़ एवं पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़, अंजड़, जिला बड़वानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

17— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

18— सजा के प्रश्न पर विचार किए जाने पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी ने प्रकरण चलने के दौरान चैक की धनराशि में से रुपये 60,000/— (अक्षरी रुपये साठ हजार मात्र) परिवादी को अदा कर दिए हैं, यहां तक कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोपी के पास वर्तमान में इतने साधन नहीं हैं कि वह उक्त चैक्स की धनराशि परिवादी को अदा कर सके। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। उनका यह भी निवेदन है कि आरोपी को व्यापार में घाटा होने के कारण उक्त अपराध घटित हुआ है तथा आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है।

19— यह सही है कि आरोपी ने परिवाद चलने के दौरान परिवादी को रुपये 60,000/— (अक्षरी रुपये साठ हजार मात्र) न्यायालय में अदा किए हैं, लेकिन मात्र राजीनामे के लिए ही उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा बार-बार स्थगन चाहा गया है और विवादित चैक्स की धनराशि की तुलना में बहुत कम धनराशि किश्तों में परिवादी को आरोपी द्वारा अदा की गई है। आरोपी द्वारा मात्र स्वयं को दीवालिया घोषित किए जाने का आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के आधार पर आरोपी सहानुभूति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

20— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी हनुमान मोहल्ला, अंजड़ एवं पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़, अंजड़, जिला बड़वानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है। चूंकि, आरोपी ने प्रकरण के विचारण के दौरान विवादित धनराशि रुपये 3,50,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) में से रुपये 60,000/— (अक्षरी रुपये साठ हजार मात्र) परिवादी को अदा कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त राशि आरोपी द्वारा परिवादी को अदा किए जाने वाले प्रतिकर में समाहित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः दंप्रसं. की धारा 357 (3) एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 (1) के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी परिवादी को प्रतिकर स्वरूप रुपये 4 लाख अदा करेगा, उक्त राशि आरोपी द्वारा परिवादी को प्रदान की गई राशि रुपये 60,000/— (अक्षरी रुपये साठ हजार मात्र) के अतिरिक्त होगी। प्रतिकर की उक्त राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21— आरोपी के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

22— द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23— प्रकरण में कोई भी जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.